राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5120/2020

गोपाल लाल शर्मा पुत्र श्री बंशी लाल शर्मा, आयु लगभग 62 वर्ष, निवासी एसटीसी रोड, तेजाजी चौक के पीछे, प्रताप नगर, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव-सह-आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग-सह-पंचायती राज राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़।

3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़।

4. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर।

5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री रजत चौधरी
प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री ललित पारीक

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

<u>22/04/2024</u>

1. वर्ष 2020 में याचिका दायर की गई थी और याचिकाकर्ता का दावा था कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे उसे पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभ, ग्रेच्युटी के साथ-साथ सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले अन्य लाभों के विलंबित भुगतान पर उसकी पात्रता की तिथि से 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रदान करें।

2. मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ में पंचायत विस्तार अधिकारी के पद पर रहते हुए दिनांक 05.01.2018 को आरोप-पत्र दिया गया था।

2.1 जबकि आरोप-पत्र के अनुसार जांच अभी लंबित थी, याचिकाकर्ता 31.12.2018 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया।

सेवानिवृत्ति के बाद उसने 12.09.2018 को विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ के कार्यालय में अपने पक्ष में अनंतिम पेंशन स्वीकृत करने के अनुरोध के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए।

03.06.2019 की जांच रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता को 05.01.2018 की आरोप-पत्र में उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया।

इसके बाद याचिकाकर्ता के पक्ष में 20.09.2019 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया।

2.2 पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, राजस्थान ने पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ के कार्यालय से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर याचिकाकर्ता के पक्ष में 07.11.2019 को पेंशन, ग्रेच्युटी और पेंशन का कम्यूटेड मूल्य जारी कर दिया।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि पेंशन जारी करने में देरी के लिए किसी भी तरह से याचिकाकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए यह याचिका दायर की गई है।

3. याचिका के जवाब में अन्य बातों के साथ-साथ यह बचाव किया गया है कि अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर ने अपने पत्र

दिनांक 22.07.2019 के माध्यम से फॉर्म 5(के) सहित कुछ दस्तावेज मांगे थे, जिन्हें याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना था। प्रतिवादी विभाग ने प्रतिवादी संख्या 2 को संबोधित दिनांक 16.10.2019 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है। तदनुसार, दिनांक 23.10.2019 के पत्र के माध्यम से अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर को याचिकाकर्ता की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने का अनुरोध भेजा गया था।

इस प्रकार, यह स्पष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों को संसाधित करने में विभाग की ओर से कोई देरी नहीं हुई है। इसलिए याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं और केस फाइल का अध्ययन किया है।

5. इस स्तर पर न्यायालय के समक्ष एकमात्र विवाद जो बचा है, वह याचिकाकर्ता का अपने पेंशन बकाया और नियमित मासिक पेंशन के विलंबित प्रेषण के लिए ब्याज का दावा है। विवादित नहीं तथ्यों के विवरण से यह पता चलता है कि पेंशन विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण विभाग की ओर से निश्चित रूप से कुछ देरी हुई थी। जिसके कारण कुछ पत्राचार का आदान-प्रदान हुआ और अंततः पेंशन विभाग की आपत्तियों को संतुष्ट करने के बाद, याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति लाभों का आवश्यक प्रेषण किया गया।

6. ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सेवा नियमों में विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के पेंशन/सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान सेवानिवृत्ति से पहले ही कर दिया जाना चाहिए ताकि उसे सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े।

7. यह सामान्य नियम है कि पेंशन न तो कोई दान है, न ही राज्य की ओर से कोई दान या उदारता का वितरण है, बल्कि यह सेवानिवृत्ति के बाद दशकों की सेवा देने वाले कर्मचारी का कठिन परिश्रम से अर्जित लाभ है। 8. सेवानिवृत्ति से काफी पहले पेंशन के प्रेषण की प्रक्रिया शुरू करने के संदर्भ में, पेंशन नियम, 1996 के नियम 80 और नियम 81 का संदर्भ लिया जा सकता है, जो नीचे उद्धृत है: -

“80. पेंशन पत्रों की तैयारी

प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष को फॉर्म 7 में पेंशन पत्रों की तैयारी का कार्य सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने की तिथि से दो वर्ष पूर्व अथवा सेवानिवृत्ति की तैयारी हेतु अवकाश पर जाने की तिथि से, जो भी पहले हो, करना होगा।

81. पेंशन पत्रों को पूरा करने के चरण

(1) कार्यालयाध्यक्ष नियम 80 में निर्दिष्ट दो वर्ष की तैयारी कार्य अवधि को निम्नलिखित तीन चरणों में विभाजित करेगा: क) प्रथम चरण:-1. सेवा का सत्यापन:

(i) कार्यालयाध्यक्ष सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका का पूरा अध्ययन करेगा तथा इस बात से संतुष्ट होगा कि उसमें संपूर्ण सेवा के लिए सत्यापन प्रमाण-पत्र दर्ज हैं या नहीं।

(ii) सेवा के असत्यापित भाग या भागों के संबंध में, वह वेतन बिलों, बरी करने की सूचियों या अन्य सुसंगत अभिलेखों के संदर्भ में, यथास्थिति, ऐसी सेवा के भाग या भागों को सत्यापित करने की व्यवस्था करेगा तथा सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रमाण-पत्र दर्ज करेगा।

(iii) यदि किसी अवधि के लिए सेवा उप-खण्ड (i) और उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट तरीके से सत्यापित करने योग्य नहीं है, तो सेवा की वह अवधि सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी अन्य कार्यालय या विभाग में की गई है, सत्यापन के प्रयोजनार्थ उस कार्यालय प्रमुख को संदर्भित किया जाएगा जिसमें सरकारी कर्मचारी द्वारा उस अवधि के दौरान सेवा की गई दर्शाई गई है।

(iv) सेवा के उस असत्यापित भाग के संबंध में जिसके लिए वेतन की दर, वार्षिक वेतन वृद्धि का अनुदान, वेतन निर्धारण, छुट्टी की अवधि का विवरण आदि को विनियमित करने वाली प्रविष्टियाँ उपलब्ध हैं, वह उपर्युक्त विवरण के आधार पर उनका सत्यापन करेगा तथा उन्हें सेवा पुस्तिका में दर्ज करेगा।

(v) नियमित पदों पर नियुक्त कार्यभारित कर्मचारियों के संबंध में, वह यह जाँच करेगा कि उसके द्वारा दिया गया तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पेंशन का विकल्प सेवा पुस्तिका में चिपका दिया गया है तथा सेवा पुस्तिका में नियोक्ता अंश अंशदायी भविष्य निधि को सरकारी खाते में जमा करने के लिए प्रविष्टियाँ मौजूद हैं।

(vi) यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा का कोई भाग उप-खण्ड (I) या उप-खण्ड (ii) या उप-खण्ड (iii) या उप-खण्ड (iv) में निर्दिष्ट तरीके से सत्यापित नहीं किया जा सकता है, तो सरकारी कर्मचारी को सादे कागज पर प्रपत्र 9 में लिखित कथन दाखिल करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें यह कहा जाएगा कि उसने वास्तव में सेवा की वह अवधि पूरी की है, तथा कथन के नीचे, उस कथन की सत्यता के बारे में घोषणा करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा, तथा ऐसी घोषणा के समर्थन में सभी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा तथा वह सभी जानकारी प्रस्तुत करेगा, जिसे प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करने की उसकी शक्ति है।

(vii) कार्यालयाध्यक्ष, लिखित कथन में तथ्यों तथा प्रस्तुत साक्ष्यों और उक्त सेवा अवधि के समर्थन में सरकारी सेवक द्वारा दी गई सूचना पर विचार करने के पश्चात, उस सेवा अवधि को उस सरकारी सेवक की पेंशन की गणना करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार करेगा तथा प्ररूप 9 ए में आदेश जारी करेगा तथा सरकारी सेवक की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि करेगा। नोट: सेवा पुस्तिका के खो जाने की स्थिति में, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 160 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

2. दीर्घकालीन बकाया राशि का निर्धारण:

(viii) ऐसे सरकारी सेवकों के संबंध में, जिन्होंने गृह निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम आदि जैसे दीर्घकालीन अग्रिम लिए हैं, वे नियम 94 के अंतर्गत प्रक्रिया में बताए अनुसार संबंधित कोषाधिकारी से पत्राचार करेंगे। वे अंतिम बकाया राशि के निर्धारण के लिए सरकारी सेवकों की सेवा पुस्तिका में किए गए दीर्घकालीन अग्रिमों की प्रविष्टियों का भी संदर्भ लेंगे। वह सरकारी कर्मचारी से उसके द्वारा लिए गए दीर्घकालिक अग्रिमों का विवरण भी घोषित करने के लिए कहेगा। III. लंबित निर्धारण मामलों को अंतिम रूप देना:

(ix) यदि विभिन्न वेतनमान नियमों में वेतन का निर्धारण लंबित है, तो कार्यालय प्रमुख उन्हें शीघ्रता से अंतिम रूप देंगे।

(ख) दूसरा चरण:- सेवा पुस्तिका में चूक को ठीक करना और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करना।

(i) कार्यालय प्रमुख सेवा के सत्यापन के प्रमाण पत्रों की जांच करते समय यह भी पता लगाएगा कि क्या कोई अन्य चूक, अपूर्णता या कमी है जिसका परिलब्धियों के निर्धारण और पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली सेवा पर सीधा असर पड़ता है।

(ii) सेवा के सत्यापन को खंड (क) के अनुसार पूरा करने और इस खंड के उप-खंड (i) में निर्दिष्ट चूक, अपूर्णता या कमी को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। सेवा पुस्तिका में असत्यापित दर्शाई गई सेवा के भाग सहित किसी भी चूक, अपूर्णता या कमी, जिसे खंड (क) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित करना संभव नहीं हो पाया है, को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और पेंशन के लिए अर्हक सेवा का निर्धारण सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों के आधार पर किया जाएगा।

(iii) परिलब्धियों का निर्धारण परिलब्धियों की गणना के प्रयोजनार्थ कार्यालयाध्यक्ष सेवा पुस्तिका से सरकारी सेवक द्वारा उसकी सेवानिवृत्ति से तुरन्त पूर्व प्राप्त अथवा प्राप्त की जाने वाली परिलब्धियों की सत्यता का सत्यापन करेगा।

(iv) स्थानापन्न नियुक्ति की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष सेवा पुस्तिका में यह प्रमाण-पत्र दर्ज करेगा कि उच्चतर पद पर नियुक्ति अवकाश रिक्ति अथवा अपने पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त अस्थायी रूप से कार्यभार संभालने के लिए नहीं की गई है, जैसा कि आर.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 45 (टिप्पणी 3) में प्रावधान है।

(v) कार्यालयाध्यक्ष कार्यालय के वरिष्ठ लेखा कार्मिक से सेवा पुस्तिका में यह प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा कि सरकारी सेवक द्वारा समय-समय पर किए गए सभी निर्धारण सही हैं तथा जिस अंतिम वेतन पर पेंशन प्रकरण तैयार किया जाना है, वह सही रूप से निर्धारित किया गया है।

(vi) यह सुनिश्चित करना कि सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि में कोई परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से किया गया है; तथा यह सुनिश्चित करना कि 31.12.1978 के पश्चात सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि में कोई परिवर्तन/परिवर्तन नहीं किया गया है;

(vii) यदि सरकारी सेवक विदेश सेवा अथवा प्रतिनियुक्ति पर था, तो क्या पेंशन अंशदान उधार लेने वाले प्राधिकारी से प्राप्त हुआ है तथा सेवा पुस्तिका अथवा अन्य अभिलेखों में इस आशय की प्रविष्टि की गई है। कार्यालयाध्यक्ष चूक आदि की पहचान करेगा तथा सुसंगत अभिलेखों अथवा कार्यालयों का संदर्भ लेकर उसे सुधारेगा। इस प्रयोजन के लिए राजस्थान सरकार के निर्णय में निहित प्रावधानों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) तृतीय चरण:- कार्यालयाध्यक्ष द्वारा फार्म 5 प्राप्त करना - सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि से आठ माह पूर्व कार्यालयाध्यक्ष सरकारी सेवक से फार्म 5 प्राप्त करेगा।

(2) उपनियम (1) के खंड (क), (ख) और (ग) के अंतर्गत कार्रवाई सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ महीने पहले पूरी की जाएगी।

9. उपर्युक्त अनिवार्य प्रावधानों के आलोक में यह भी प्रावधान किया गया है कि नियम 80 के अनुसार फाइल संसाधित न होने की स्थिति में, सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी विलंबित भुगतान पर ब्याज पाने का हकदार होगा, बशर्ते कि विलंब के लिए उसे कोई दोषी न ठहराया गया हो।

10. वर्तमान मामले में भी, यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता किसी भी तरह से गलत बयानी या छिपाने के माध्यम से दोषी नहीं था, जिससे उसे अपने वित्तीय अधिकार के प्रेषण में देरी के किसी भी प्रतिकूल परिणाम के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके। ब्याज के अधिकार के लिए नियम 89 का संदर्भ लिया जा सकता है जो निम्नानुसार है: -

“89. सेवानिवृत्ति लाभों के विलम्बित भुगतान पर ब्याज

(1) यदि सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान देय होने की तिथि से 60 दिन के पश्चात अधिकृत किया गया है, तथा यह स्थापित हो जाता है कि भुगतान में विलम्ब सरकारी कर्मचारी द्वारा इस अध्याय में या इन नियमों में अन्यत्र निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करने के कारण नहीं हुआ है, तो सेवानिवृत्ति लाभों के देय होने की तिथि से 9% प्रति वर्ष की दर से

ब्याज, सेवानिवृत्ति लाभों के अधिकृत होने के माह से पूर्व के माह के अंत तक देय होगा।

(2) सेवानिवृत्ति लाभों के विलम्बित भुगतान के प्रत्येक मामले की जांच कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वप्रेरणा से की जाएगी तथा उसे विभाग प्रमुख के माध्यम से प्रशासनिक विभाग को भेजा जाएगा, तथा जहां प्रशासनिक विभाग संतुष्ट हो कि सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में विलम्ब प्रशासनिक चूक या निष्क्रियता के कारण हुआ है, वहां संबंधित प्रशासनिक विभाग पेंशन विभाग के निदेशक को ब्याज के भुगतान के लिए स्वीकृति जारी करेगा।

(3) ऐसे सभी मामलों में, जहां ब्याज का भुगतान अधिकृत किया गया है, संबंधित प्रशासनिक विभाग सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारी के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1958 के तहत जिम्मेदारी तय करेगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा तथा पेंशनभोगी को ब्याज के भुगतान के कारण सरकार को हुई हानि की भरपाई जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी से करेगा।

(4) ब्याज के भुगतान के आदेश में प्रशासनिक विभाग देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी का नाम और उससे वसूली योग्य ब्याज की राशि का भी उल्लेख करेगा।

(5) यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप उसकी सेवानिवृत्ति पर पहले से भुगतान किए गए सेवानिवृत्ति लाभों की राशि में निम्नलिखित कारणों से वृद्धि की जाती है:-
(क) उन परिलब्धियों से अधिक परिलब्धियां प्रदान करना, जिन पर पहले से भुगतान किए गए सेवानिवृत्ति लाभ निर्धारित किए गए थे, या
(ख) संबंधित सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व की तिथि से इन नियमों के प्रावधानों में उदारीकरण किया जाता है। सेवानिवृत्ति लाभों पर बकाया राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

(6) यदि पेंशन विभाग में कोई विलम्ब होता है, तो ऐसे विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा तथा पेंशनभोगी को भुगतान किए

गए ब्याज की वसूली के लिए ऐसे दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

नोट:

(i) सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि से तथा सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में संबंधित सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए आवेदन की तिथि से देय हो जाता है।

[(ii) ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जिसके विरुद्ध सेवानिवृत्ति की तिथि पर अनुशासनात्मक/न्यायिक कार्यवाही लंबित है, उसे कार्यवाही समाप्त होने तथा उस पर अंतिम आदेश जारी होने तक अनंतिम पेंशन के अलावा कोई सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि अनुशासनात्मक/ न्यायिक कार्यवाही समाप्त होने पर

(क) सरकारी कर्मचारी को पूर्ण रूप से दोषमुक्त कर दिया जाता है तो सेवानिवृत्ति लाभ सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद की तिथि को देय माने जाएंगे तथा सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान पर ब्याज उस तिथि से दिया जाएगा जिस तिथि को ग्रेच्युटी देय हुई है। विलंबित भुगतान पर ब्याज की दर सामान्य भविष्य निधि पर प्रचलित ब्याज दर होगी।

(ख) यदि कोई सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी न्यायिक अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान मर जाता है तथा जिसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो ऐसे मामले में सेवानिवृत्ति की तिथि से मृत्यु की तिथि तक की अवधि के लिए सेवानिवृत्ति लाभ के विलंबित भुगतान पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(ग) अन्य मामलों में, यदि कार्यवाही के समापन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति लाभ लेने की अनुमति दी जाती है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की तिथि को देय माना जाएगा।

11. उपर्युक्त आधार पर, रिट याचिका को आवश्यक रूप से अनुमति दी जानी चाहिए तथा प्रतिवादियों को उक्त नियम 89 के अनुसार ब्याज के भुगतान के आदेश का पालन करने का आदेश दिया जाना चाहिए। तदनुसार आदेश दिया जाता है। ब्याज के लिए आवश्यक गणना 3 महीने की अवधि के भीतर की जानी चाहिए तथा कानून के अनुसार

याचिकाकर्ता को इसकी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

12. लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाएगा।

(अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।